न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या–889/20 (जीसीएमएस नं. 2020/00753)

1. फूलसिंह पुत्र स्व. श्री रावत सिंह, जाति राजपूत, उम्र 95 वर्ष निवासी ग्राम भारीजा, तहसील दातारामगढ जिला सीकर।

——अपीलान्ट

बनाम

1 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 28.06.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक एफ.2(392)अति.शास्त्र न्याय/2015 दिनाक 29.09.2020 के विरूद्ध शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 8 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 574/मीस/सीकर/13 अवधि 31.12.2015 को नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 28.12.2015 को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सीकर के यहॉ आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर नियमानुसार जांच कर पुलिस अधीक्षक, सीकर से जरिये पत्र क्रमांक एफ.2(392)शस्त्र अनज्ञा पत्र नवीनीकरण/न्याय/2015 दिनांक 29.12.2015 जॉच रिपोट तलब किये जाने के आदेश किये गये तत्पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट सीकर के आदेश दिनांक 29.12.2015 की अनुपालना मे पुलिस अधीक्षक सीकर ने अपने पत्र दिनांक 17.02.2016 द्वारा आवेदक की उम्र 91 होने से हथियार की देखभाल करने में सक्षम नही होना अंकित करते हुये अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण नही किये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का दिनाक 22.02.2016 को कारण बताओं नोटिस जारी कर अपना शस्त्र निकटतम पुलिस थाना अथवा अधिकृत फर्म को जमा कराकर 15 दिन की अवधि में स्वयं उपास्थित होकर कारण स्पष्ट करने हेतु आदेशित किया गया जिसकी अनुपालना में शस्त्र निकटतम पुलिस थाना दातारामगढ़ में शस्त्र जमा कराकर दिनांक 02.03.2016 अपीलार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किय गया, तत्पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट सीकर ने अपने आदेश दिनांक 15.03.2016 को अपीलार्थी का नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने का आदेश पारित फरमा दिया गया।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र खारिज हो जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.09.2020 को आवेदन प्रस्तुत पुलिस थाना दातारामगढ में अपीलार्थी का जमाशुदा शस्त्र उपयोग में नही आने के कारण उक्त शस्त्र को अधिकृत शस्त्र विक्रेता मैसर्स सीकर गन स्टोर, दीवान मार्केट सीकर को विक्रय करना चाहने हेतु शस्त्र को रिलीज करने एवं विक्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश दिनाक 29.09.2020 को अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना कतई परवर्स अदेश पारित

P.T.O.

किया है जो विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रिया के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन आदेश मात्र नियम 47 के तहत आयुद्ध निक्षेप एक वर्ष से उपर (4) वर्ष होने जाना अंकित करते हुये निरस्त किया गया जबकि अपीलार्थी की आयु 95 वर्ष हो जाने एवं स्वास्थ्य ठीक नही रहने की वजह से अपीलार्थी समय पर आवेदन प्रस्तुत नही कर सका जिसमें अलार्थी कोई बुरी भावना नही है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2020 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी का शस्त्र रिलीज व विक्रय किये जाने के आदेश प्रदान करें।

रेस्पोडेन्ट सख्या 1 के राजकीय अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी ने अपने शस्त्र को विक्रय करने हेतु मियाद बाहर आवेदन किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 47 के तहत आयुद्ध निक्षेप हुए एक वर्ष से उपर होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु निर्धारित समय अवधि में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.03.2016 द्वारा अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर शस्त्र को जप्त करने के आदेश पारित किये गये जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र को पुलिस थाना दातारामगढ में दिनांक 11.04.2016 को ही जमा करवा दिया गया है। यदपि अपीलार्थी द्वारा अपने उक्त शस्त्र को विक्रय करने हेतु दिलम्ब से आवेदन किया गया है किन्तु उक्त विलम्ब अवधि के दौरान उक्त शस्त्र के सम्बन्ध में अपीलार्थी को किस प्रकार की कोई सूचना या नोटिस इत्यादि नही दिये गये, ऐसी स्थिति में उक्त शस्त्र के मालिकाना अधिकारों से अपीलार्थी को वंचित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2020 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।